कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ–166/स्टे.आयु./2021–22/4194 भिलाई, दिनांक 04/02/22

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र कमांक एफ 20–55/2021/11/6, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10.01.2022 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुरुप राज्य में सी–मार्ट स्थापित किए जाने के संबंध में अनुमोदित कार्ययोजना प्रेषित की गई है।

तद्नुसार नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत सी–मार्ट स्थापित किये जाने हेतु शासन के उपरोक्त आदेश के अनुरुप कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को वर्तमान कार्यों के साथ–साथ दायित्व सौंपा जाता है :–

नोडल अधिकारी	सहायक नोडल अधिकारी	सदस्य
श्री अमिताभ शर्मा जोन आयुक्त, जोन क. 4 मो. 7879152951	श्री संजय बागड़े कार्यपालन अभियंता, जोन क 4 मो. 7223999319	सुश्री शीबा राबर्टस् मिशन मैनेजर मो. 7999249802

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रकाश कुमार सर्वे)
रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क/एफ–166/स्टे.आयु./2021–22/4195 भिलाई, दिनांक 04/02/22

प्रतिलिपिः–

1. महापौर/अध्यक्ष महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महो. दुर्ग, जिला–दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता I/II/III, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त /कार्यपालन अभियंता,जोन–1,2,3,4 एवं 5/जलकार्य/ स्वास्थ्य /कम्प्युटर/ विद्युत/ भवन संधारण/ स्टोर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. सर्व संबंधित श्री/सुश्री/ विभाग प्रमुख ..... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

छत्तीसगढ़ शासन
वणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

क्रमांक एफ 20–55/2021/11/6 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10./01/2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   छत्तीसगढ शासन,
   वित्त विभाग/वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ ग्रामोद्योग विभाग/खनिज संसाधन विभाग/कृषि विभाग
   मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
2. संचालक,
   उद्योग संचलनालय,
   उद्योग भवन, रायपुर
3. प्रबंध संचालक,
   छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज संघ,
   वन धन भवन, सेक्टर–24, नवा रायपुर अटल नगर
4. प्रबंध संचालक,
   सी.एस.आई.डी.सी.,
   उद्योग भवन रायपुर
5. समस्त जिला कलेक्टर
   छत्तीसगढ।

विषयः– सी–मार्ट की स्थापना के संबंध में।

---0--

माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुरूप राज्य में सी–मार्ट स्थापित किए के संबंध में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति आपके विभाग से संबधित बिंदुओ पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ट– ''अ''

'सी' मार्ट हेतु प्रस्तावित कार्य योजना

प्रस्तावना :–

राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत संचालित महिला स्व–सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकारों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे उक्त सभी वर्गों के उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों (नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10 हजार वर्ग फुट तथा नगर पालिकाओं की स्थिति में 6 से 8 हजार वर्ग फुट) में आधुनिक शो–रूम की तरह 'सी' मार्ट की स्थापना किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' के उत्पादों की तरह ही उक्त वर्णित वस्तुओं की मार्केटिंग की व्यवस्था लघु वनोपज संघ द्वारा की जाये। महिला समूहों एवं अन्य सभी उत्पादकों से संबंधित कलेक्टर सहमति प्राप्त कर उनके उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था हेतु प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ से समन्वय किया जाना है।

कार्य योजना :–

'सी' मार्ट की स्थापना की स्थापना तथा संचालन के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है :–

1. 'सी' मार्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा नोडल विभाग नियुक्त किया जाना है। उत्पादकों के मार्केटिंग की व्यवस्था लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने के निर्देश हैं। छ.ग राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के उप नियम 3 में संघ के उद्देश्यों को वर्णित किया गया है, इसके बिन्दु क. 37 में यह प्रावधानित किया गया है कि राज्य के इच्छा के अनुसार अन्य व्यवसाय लिया जा सकता है।
2. यदि छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग का दायित्व दिया जाता है तो उक्त उप नियम के अनुसार राज्य शासन द्वारा छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ को उक्त कार्य करने हेतु निर्देश जारी किया जाना आवश्यक होगा।
3. उपरोक्तानुसार 'सी' मार्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

3.1 प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत संचालित महिला स्व–सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकारों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाकर डाटाबेस तैयार करना।

3.2 उपरोक्तानुसार प्रदेश में तैयार किये जाने वाले उत्पादों की इन्वेंट्री तैयार करना तथा इन उत्पादों के समान अन्य बाजार में उपलब्ध उत्पादों का उपरोक्त उत्पादों के मूल्य से तुलना करना तथा वर्तमान में इन उत्पादों के विक्रय व्यवस्था की जानकारी एकत्रित करना।

3.3 राज्य शासन के विभिन्न विभागों में ऐसे उत्पादों के मांग / क्रय के संबंध में जानकारी एकत्रित करना।

3.4 जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन कर विभिन्न उत्पादनकर्ताओं को संगठित करना एवं उत्पादों के मार्केटिंग हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।

3.5 प्रत्येक जिले में उत्पादकों की संख्या एवं उत्पादों की संख्या के अनुसार संख्या एवं विक्रय की संभावना को देखते हुए रिजनल वेयर हाउस का स्थल चयन करना।

3.6 उत्पादक संस्थाओं / व्यक्तियों का कलस्टर तैयार करना, जिनका प्रबंधन एक साथ हो सके।

3.7 जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना।

3.8 राज्य स्तर पर 'सी' मार्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाना।

3.9 छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ को ब्रांडिंग, मार्केटिंग इत्यादि की व्यवस्था स्थापित करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था / संरचना का निर्माण किया जाना।

3.10 विभिन्न नगरीय निकायों में 'सी' मार्ट की स्थापना हेतु भूमि/ भवन का चयनकर 'सी' मार्ट का निर्माण किया जाना।

3.11 'सी' मार्ट भवन के निर्माण हेतु एजेंसी का निर्धारण एवं वित्तीय व्यवस्था किया जाना।

3.12 'सी' मार्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन कर वित्तीय प्रस्ताव तैयार किया जाना।

3.13 'सी' मार्ट के संचालन हेतु निजी संचालक का चयन करते हुए एजेंसी निर्धारित करना। इस हेतु मॉडल विकसित कर निविदा दस्तावेज तैयार कर निविदा किया जाना।

3.14 विभिन्न उत्पादों के प्रचार – प्रसार एवं मार्केटिंग, ब्रांडिंग हेतु कार्य योजना तैयार कर ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग का कार्य किया जाना।

3.15 राज्य शासन से योजना के कियांन्वयन हेतु विभिन्न करों, फीस इत्यादि पर छूट की संभावना तलाश करना एवं छूट प्रदान किया जाना।

3.16 उत्पादकों के कय – विकय इन्वेंट्री, भुगतान इत्यादि हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित करना।

4. उत्पादक संस्था का सर्वेक्षण :–

4.1 प्रदेश में विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही / स्व सहायता समूहों के माध्यम से अनेक उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। कई ऐसे भी उत्पाद हैं जो एक से ज्यादा संस्था / व्यक्तियों द्वारा तैयार किये जा रहे होंगे। इन समस्त संस्थाओं / व्यक्तियों की जानकारी संबंधित विभाग के पास होगी, परन्तु इन संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा वास्तव में उत्पादों के निर्माण कर विक्रय किया जा रहा है अथवा नहीं इस हेतु विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी। चूंकि जिला स्तर पर ऐसे कई विभाग इसमें शामिल हैं, अतः संबंधित कलेक्टर की अध्यक्षता में कियान्वयन समिति गठित की जाकर ऐसे विभागों का प्रतिनिधित्व समिति में कराया जाना आवश्यक होगा। सर्वेक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हो सकते हैं:–

(i) संस्था / समूह / व्यक्तियों का नाम एवं पते
(ii) विभाग का नाम
(iii) संचालित योजना का नाम
(iv) तैयार किये जाने वाले उत्पादों की संख्या एवं विवरण
(v) उत्पादों के निर्माण की वर्तमान स्थिति
(vi) उत्पादों का निर्माण क्षमता
(vii) उत्पादों की वर्तमान विक्रय व्यवस्था
(viii) उत्पादों का अधिकतम खुदरा मूल्य
(ix) समान उत्पादों का बाजार में खुदरा मूल्य
(x) उत्पादों के विक्रय से औसत वार्षिक टर्नओवर
(xi) उत्पादों के विक्रय से औसत वार्षिक आय

4.2 उक्त सर्वेक्षण कार्य हेतु राज्य स्तर से ही प्रारूप का निर्धारण कर जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

सर्वेक्षण का कार्य जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में संबंधित विभागों / अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर निर्धारित समय सीमा में किया जाना होगा।

4.3 संपूर्ण योजना के प्रभावी कियान्वयन, मॉनीटरिंग एवं समन्वय हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में "परिशिष्ट–ब" में दर्शित अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा इसके अधिकार एवं दायित्व होंगे।

4.4 जिला स्तर पर योजना के कियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में "परिशिष्ट–स" में दर्शित अनुसार कियान्वयन एवं समन्वय समिति तथा इसके अधिकार एवं दायित्व होंगे।

5 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के दायित्व :–

5.1 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को 'सी' मार्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु नोडल विभाग होगा।

5.2 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 'सी' मार्ट की स्थापना एवं संचालन के संबंध में कार्य योजना तैयार करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जायेगा।

5.3 नोडल विभाग द्वारा अन्य समस्त संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जायेगा, जिसके लिए मुख्य सचिव छ.ग शासन की अध्यक्षता में उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का गठन भी किया जायेगा।

5.4 चूंकि योजना के अंतर्गत उत्पादों का मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग एवं 'सी' मार्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रबंधन का प्रमुख दायित्व छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ का होगा, अतः योजना के सफल कियान्वयन हेतु वन विभाग एवं छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ के सहयोग से एवं अन्य समस्त विभागों के समन्वय से योजना का संचालन किया जायेगा।

5.5 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अन्य समस्त विभागों एवं छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ से आवश्यक बजट की मांग प्राप्त करते हुए बजट प्रावधान कराने तथा बजट उपलब्ध कराने हेतु उत्तरादायी होगा।

6. छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ के दायित्व :–

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ 'सी' मार्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु नोडल विभाग के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ 'सी' मार्ट के माध्यम से चयन किये जाने वाली सामग्रियों का मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रबंधन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होगा। छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ के मुख्य दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

6.1 प्रदेश में विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत तैयार किये जा रहे उत्पादों के सर्वेक्षण हेतु प्रारूप का निर्धारण करेगा।

6.2 समस्त जिलों में जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वय समिति के पर्यवेक्षण में उत्पादों का सर्वेक्षण कराते हुए जानकारी संकलित करेगा तथा ऐसे उत्पादों का जिसका 'सी' मार्ट के माध्यम से विक्रय / मार्केटिंग किया जाना प्रस्तावित है, का चयन करायेगा।

6.3 छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं उत्पादन संस्था / व्यक्ति के साथ चयनित उत्पाद के विक्रय, मार्केटिंग हेतु एम.ओ.यू का प्रारूप निर्धारित कर नोडल विभाग के माध्यम से राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति से अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा एम.ओ. यू निष्पादित करायेगा।

6.4 हर जिले में उत्पादक संस्था / व्यक्तियों से वस्तुओं के विक्रय हेतु चेनल स्थापित करेगा, जिसमें उत्पादकों के समूहों का चयन करते हुए तथा उत्पादकों की संख्या एवं दूरी के अनुसार वेयरहाउस की आवश्यकता एवं स्थल का निर्धारण करते हुए उत्पादों के विक्रय एवं मार्केटिंग हेतु रीजनल वेयरहाउस की स्थापना की योजना तैयार करायेगा। रीजनल वेयरहाउस के संचालन तथा रीजनल वेयरहाउस के विभिन्न उत्पादक समूहों की नेटवर्किंग हेतु एक – एक मार्केटिंग सहायक के साथ – साथ रीजनल स्तर पर पूरी प्रशासनिक इकाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

6.5 रीजनल वेयरहाउस से स्थापित किये जाने वाले विभिन्न 'सी' मार्ट में उत्पादकों के विक्रय हेतु लॉजिस्टिक नेटवर्क स्थापित करने तथा 'सी' मार्ट के संचालन हेतु निजी निवेशक / निजी संचालक संस्था का चयन हेतु निविदा दस्तावेज तैयार करायेगा। निविदा दस्तावेज को सलाहकार संस्था के माध्यम से तैयार कराया जायेगा तथा इस दस्तावेज का अनुमोदन राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति से प्राप्त किया जाना होगा।

6.6 मुख्यालय स्तर पर योजना के प्रबंधन एवं संचालन हेतु विशेषज्ञों की टीम के साथ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करेगा, जिसके द्वारा पूरी योजना का संचालन किया जा सके।

6.7 रीजनल वेयरहाउस से 'सी' मार्ट तथा उत्पादों के परिवहन, 'सी' मार्ट के माध्यम से उत्पादों के विक्रय एवं 'सी' मार्ट के संपूर्ण संचालन हेतु निजी संचालक / प्राइवेट पार्टनर का चयन करेगा। निजी संचालक के चयन उपरांत पूरे व्यवस्था का प्रबंधन की जवाबदारी छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ की होगी।

6.8 प्रत्येक जिले में उत्पादों के सर्वेक्षण से लेकर 'सी' मार्ट के संचालन हेतु प्रशासनिक एवं अन्य व्यवस्था स्थापित किये जाने की संपूर्ण कार्य योजना तैयार करायेगा तथा इस कार्य योजना का अनुमोदन नोडल विभाग एवं राज्य स्तरीय उच्चधिकार प्राप्त समिति से करायेगा।

6.9 इस पूरे योजना के प्रबंधन में आवश्यक मानव संसाधन की आवश्यकता का आंकलन करते हुए सेट-अप तैयार करायेगा तथा इसका अनुमोदन राज्य स्तरीय उच्चधिकार प्राप्त समिति से प्राप्त कर पूरे प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु 'सी' मार्ट के संचालन हेतु सीड मनी के लिए बजट तैयार करना तथा राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से नोडल विभाग / राज्य शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा।

6.10 विभिन्न उत्पादों के प्रचार प्रसार, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग हेतु कार्य योजना तैयार करते हुए उत्पादों का ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग का कार्य करेगा।

6.11 योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न करों, फीस इत्यादि पर छूट की संभावनाएं तलाश करते हुए प्रस्ताव तैयार करेगा, जिससे उत्पादक विक्रय खुले बाजार में हो सके तथा दरों में प्रतिस्पर्धी हो सके। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अनुमोदन प्राप्त करना तथा नोडल विभाग के माध्यम से राज्य शासन से इस संबंध में आदेश / स्वीकृति प्राप्त करेगा।

6.12 योजना के अंतर्गत उत्पादों के विक्रय एवं परिवहन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित करायेगा तथा इस प्रणाली के तहत् उत्पादों के विक्रय की पूर्ण मॉनीटरिंग करेगा।

7. अन्य संबंधित विभागों के दायित्व :-

'सी' मार्ट योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ऐसे विभाग जिनकी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न हितग्राही / समूहों द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है एवं इनके मार्केटिंग इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है, का भी विशिष्ट दायित्व रहेगा। ऐसे विभागों के नाम निम्नानुसार है :-

1. वन विभाग एवं छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ
2. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
4. कृषि विभाग
5. ग्रामोद्योग विभाग
6. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
7. महिला बाल विकास विभाग

उपरोक्त सभी विभाग, जिनकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है, के मुख्य दायित्व छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ के साथ समन्वय करते हुए जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से उत्पादकों एवं उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराना है। मार्केटिंग की व्यवस्था स्थापित करने में समन्वय किया जाना तथा आवश्यक निर्देश जारी किया जाना, उत्पादों के पैकेजिंग एवं लेबल डिजाईन के बारे में एकरूपता लाये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना तथा योजना के संबंध में समस्त समन्वय स्थापित किया जाना शामिल है। विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं में मार्केटिंग, ब्रांडिंग हेतु बजट की उपलब्धता के आधार पर आवश्यक अधोसंरचना निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराना भी इनके दायित्वों में शामिल रहेगा।

इन विभागों के अलावा खनिज संसाधन विभाग एवं वित्त विभाग की भी योजना में महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। योजना के कियान्वयन हेतु डी.एम.एफ अन्य योजनाओं के अंतर्गत बजट / राशि की व्यवस्था तथा उद्योग विभाग एवं और छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ को सी–मार्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराया जाना इनके दायित्व में शामिल होगा।

४. योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था :–

'सी' मार्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु निम्नानुसार मदों की राशि की आवश्यकता होगी :–

(i) नगर पालिका, नगर निगम स्तर पर 'सी' मार्ट की स्थापना हेतु भूमि / भवन निर्माण करने पर लगने वाली लागत ।

(ii) 'सी' मार्ट के आंतरिक साज–सज्जा एवं अन्य अधोसंरचना निर्माण हेतु लगने वाली लागत में होने वाले व्यय।

(iii) कलस्टर लेबल, क्षेत्रीय वेयरहाउस एवं संघ स्तर पर आवश्यक कर्मचारियों तथा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, समन्वय, प्रचार प्रसार एवं अन्य सलाहकार एजेंसी के नियोजन में होने वाले व्यय।

(iv) चूंकि उत्पादक समूहों, व्यक्तियों से तैयार उत्पाद को वेयरहाउस में लाते हुए 'सी' मार्ट को विक्रय, मार्केटिंग हेतु दिया जाना होगा, अतः उत्पादक संस्था / व्यक्ति को निजी उत्पाद का निर्धारित मूल्य का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। इसके लिए सीड केपिटल की आवश्यकता होगी। इसके साथ – साथ 'सी' मार्ट के संधारण इत्यादि पर होने वाले व्यय के भार का वहन भी प्राथमिक रूप से किया जाना होगा, जो बाद में निजी संस्था द्वारा विक्रय उपरांत लाभ से समायोजन हो सकता है। इस हेतु भी सीड केपिटल की आवश्यकता होगी।

(v) उपरोक्त कार्यों पर व्यय हेतु योजना के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तीय बजट की आवश्यकता होगी, जिसका प्रावधान उद्योग विभाग अथवा / तथा छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ के विभागीय बजट में किया जाना आवश्यक होगा।

9. **उत्पादों का ब्रांडिंग :-**

वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तैयार किए जा रहे उत्पादों का विक्रय किसी न किसी नाम अथवा ब्रांड के अंतर्गत अन्य तरीकों से किया जा रहा है। 'सी' मार्ट की स्थापना का उद्देश्य इन ब्रांड अथवा तरीकों को बंद करना नहीं हैं, अपितु इसके अतिरिक्त एक ऐसी व्यवस्था सृजित करना है, जिससे इन उत्पादों को संगठित रूप से बड़ा बाजार मिल सके। वर्तमान में जिन माध्यमों से इन उत्पादों की विक्रय व्यवस्था हैं वह जारी रखा जाना प्रस्तावित है। अतिरिक्त रूप से राज्य स्तरीय ब्रांड स्थापित करते हुए 'सी' मार्ट से इन उत्पादों का विक्रय किया जायेगा तथा इसी ब्रांड के अंतर्गत ब्रांडिंग करते हुए उसकी मार्केटिंग किया जाना प्रस्तावित है।

---000---

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति –

संपूर्ण योजना के प्रभावी कियान्वयन, मॉनीटरिंग एवं समन्वय हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जायेगा। समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

i.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	– अध्यक्ष
ii.	प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छ.ग शासन	– सदस्य सचिव
iii.	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग छ.ग शासन	– सदस्य
iv.	प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छ.ग शासन	– सदस्य
v.	प्रमुख सचिव / सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग शासन	– सदस्य
vi.	प्रमुख सचिव / सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग शासन	– सदस्य
vii.	प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ.ग शासन	– सदस्य
viii.	प्रमुख सचिव / सचिव, ग्रामोद्योग विभाग छ.ग शासन	– सदस्य
ix.	प्रमुख सचिव / सचिव, खनिज संसाधन विभाग छ.ग शासन	– सदस्य
x.	प्रबंध संचालक, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ	– सदस्य
xi.	यथा आवश्यकता अन्य आमंत्रित सदस्य	– सदस्य

समिति के अधिकार एवं दायित्व –

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

9.1 छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 'सी' मार्ट की कार्य योजना का अनुमोदन किया जाना।

9.2 'सी' मार्ट की कार्य योजना हेतु आवश्यक बजट का अनुमोदन कर अनुशंसा करते हुए राज्य शासन से बजट उपलब्ध कराया जाना।

9.3 'सी' मार्ट की स्थापना हेतु नगर पालिका, नगर निगम में भूमि / भवन की आबंटन के संबंध में निर्णय लेना तथा आवश्यक निर्देश जारी करना।

9.4 'सी' मार्ट की संचालन हेतु निजी संचालक / प्राइवेट पार्टनर के चयन हेतु तैयार दस्तावेज का अनुमोदन करना।

9.5 'सी' मार्ट को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए विभिन्न फीस / कर / अन्य अतिभार में छूट / कमी किये जाने के प्रस्ताव का अनुसंशा करते हुए राज्य शासन को अनुमोदन हेतु भेजना।

9.6 योजना का त्रैमासिक मॉनीटरिंग करना तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

9.7 अन्य संबंधित कार्य।

---000---

जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वय समिति–

जिला स्तर पर योजना के कियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किया जाना होंगे :–

i.	जिला कलेक्टर	– अध्यक्ष
ii.	वन मंडलाधिकारी सह प्रबंध संचालक जिला यूनियन	– सदस्य सचिव
iii.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	– सदस्य
iv.	मुख्य महाप्रबंधक/ महा प्रबंधक, उद्योग विभाग	– सदस्य
v.	उप संचालक, कृषि विभाग	– सदस्य
vi.	आयुक्त, नगर निगम / नगर पालिका	– सदस्य
vii.	जिला अधिकारी, ग्रामोद्योग विभाग	– सदस्य
viii.	अन्य संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	– सदस्य

समिति के अधिकार एवं दायित्व–

जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वय समिति का कार्य मुख्यतः विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत निर्मित प्रसंस्करण / उत्पादन केन्द्रों को संगठित करना है तथा उनके उत्पादों के मार्केटिंग के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय करते हुए छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ के जिला प्रतिनिधि एवं उत्पादक समूहों के साथ में मार्केटिंग हेतु एम.ओ. यू कराना तथा इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना है। जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वय समिति के मुख्य दायित्व निम्नानुसार होगा :–

(अ) योजना के प्रथम चरण में जिला मुख्यालय में 'सी' मार्ट की स्थापना हेतु भूमि / भवन का चयन किया जाना। प्रथम दो वर्षों हेतु नगर निगम क्षेत्र में 8 से 10 हजार वर्ग फुट तथा नगर पालिका की स्थिति में 6 से 8 हजार वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल के भवन का चयन किया जाना।

(ब) प्रत्येक नगर निगम एवं नगर पालिका के मध्य में एक से दो एकड़ शासकीय भूमि 'सी' मार्ट के लिए चिन्हांकित करते हुए आरक्षित किया जाना। भूमि का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा तथा भूमि का चयन हेतु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि आसपास में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो रही हों।

(स) बिन्दु कमांक 4.1 के अनुसार जिले में विभिन्न विभाग के अंतर्गत निर्मित उत्पादों का सर्वेक्षण करते हुए जानकारी संकलित किया

जाना, इसमें विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग में आने वाली ऐसी सामग्रीयों की सूची का भी संकलन किया जाना, जो उस जिले के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले उत्पादों अथवा प्रदेश के अन्य जिलो में तैयार किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित हो।

(द) 'सी' मार्ट की स्थापना के उपरांत यह सुनिश्चित किया जाना कि समस्त शासकीय विभागों / उपकमों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों का विकय 'सी' मार्ट में उपलब्ध उत्पादों से ही किया जा रहा है।

(ई) जिले के अंतर्गत उत्पादक संस्थाओं / व्यक्तियों के साथ उत्पादों के विकय एवं मार्केटिंग हेतु एम.ओ.यू के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना तथा उसकी मासिक समीक्षा करना।

(फ) विभिन्न शासकीय कार्यकमों के अंतर्गत भविष्य में नये उत्पादों के निर्माण के संबंध में उत्पादों का चयन कर उसके प्रसंस्करण / उत्पादन की सहमति प्राप्त करना तथा उत्पादों के विकय / मार्केटिंग हेतु पूर्व से ही एम.ओ.यू निष्पादित कराया जाना।

(ज) चिन्हांकित किये गये भूमि पर मॉडल, डिजाईन के अनुसार नये भवन के निर्माण हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि का उपयोग करते हुए अथवा उद्योग विभाग के माध्यम से मार्ट का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करना। मार्ट निर्माण के साथ – साथ समस्त आवश्यक अधोसंरचना एवं आंतरिक साज–सज्जा का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाना। मार्ट के निर्माण हेतु उद्योग विभाग का मुख्य दायित्व होगा।

(ह) रीजनल स्तर पर उत्पादों के भंडारण हेतु वेयरहाउस का निर्माण उद्योग विभाग के माध्यम से कराया जाना।

---000---